वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. आर. दासमुंशी): (क) ऐसी आशा है कि वर्ष 1989-90 के दौरान रत्न और आभूषणों के निर्यात लगभग 6500 करोड़ रु० के हो जायेंगे ।

(ख) और (ग) स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम (1968) के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा बदलती हुई आवश्यकताओं और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एक सतत प्रक्रिया के रूप में समय समय पर की जाती है ताकि स्वर्ण आभूषण के निर्यात बढ़ाने में पर्याप्त उत्पादक संसाधनों की व्यवस्था की जा सके ।

**Overdraft facilities given by Branch Manager, State Bank of Indore**

1995. SHRI RAM AWADHESH SINGH: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) how many overdraft facilities were given by the Branch Manager of the State Bank of Indore, Marwari Road Branch, Bhopal during the last two years;

(b) whether the Manager misused his power in granting such overdraft facilities;

(c) if so, what action has been taken against him; and

(d) if no action has been taken, what are the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI EDUARDO FALEIRO): (a) and (b) State Bank of Indore has reported that the Branch Manager of its Marwari Road, Bhopal Branch sanctioned/permitted overdrafts in 98 accounts aggregating to Rs. 28.82 lakhs during the last two years. In a few cases the Branch Managers have exceeded their discretionary powers.

(c) and (d) The bank has reported that explanation of the Branch Managers concerned has been called for and action considered appropriate will be taken on receipt of their reply in accordance with the rules and procedures laid down in this regard.

1996. [*Cancelled.*]

**15 सूत्री कार्यक्रम के अधीन ऋण अदि के संबंध में राष्ट्रीयकृत और सहकारी बैंकों द्वारा जारी किए गए अनुदेश**

1997. श्री मोर्जा इर्शादबेग : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 15 सूत्री कार्यक्रम के अधीन ऋणों तथा अन्य बैंककारी सुविधाओं के संबंध में राष्ट्रीयकृत और सहकारी बैंकों को क्या अनुदेश जारी किए गए हैं ; और

(ख) उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां पर उक्त बैंकों द्वारा उपर्युक्त अनुदेशों को लागू कर दिया गया है और यदि उन्हें लागू नहीं किया गया है, तो उसके क्या कारण हैं और उन्हें कब तक लागू कर दिए जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एदुवर्डो फेलेरियो) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने, सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों को 15 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत अल्पसंख्यक समुदायों को दिए जाने वाले ऋणों के सुचारू प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित हिदायतें जारी की हैं :—

(1) प्रत्येक बैंक में एक विशेष कक्ष स्थापित किए जाये ।

(2) अल्पसंख्यक समुदायों को दिए जाने वाले ऋणों के प्रवाह को सरल बनाने के उपाय किए जायें तथा इस संबंध में हुई प्रगती की जिला परामर्शदात्री समितियों तथा राज्य स्तरीय बैंकर्स समितियों की बैठकों में नियमित रूप से समीक्षा की जाए ।

(3) अल्पसंख्यक समुदायों की बहुलता वाले और खासकर पता लगाए गए 40